संख्या- 718 / 44-1-2013-25 उवेरि/1995

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रम/ निगम के प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 13 फरवरी,2014

विषयः- राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को गम्भीर बीमारी की दशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 361/44-1-96-25 उवेरि/95, दिनांक 31 मई,1996 में सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों द्वारा अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की बीमारियों में अस्पताल से बाहर रहकर कराये गये इलाज पर हुए चिकित्सा अग्रिम एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये रु0 50,000.00 की धनराशि की सीमा तक के प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए निदेशक मण्डल को अधिकार दिये गये थे । शासन द्वारा उपरोक्त सीमा को रु0 1,00,000.00 (रुपया एक लाख) तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है । रुपया एक लाख से अधिक के प्रकरण पूर्ववत शासन को भेजे जायेगें ।

2. शासनादेश संख्या-361/44-1-96-25 उवेरि/95, दिनांक 31.05.1996 में लगाई गई शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी ।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 718 /44-1-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शासन के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रमुख सचिव / सचिव ।
2. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
5. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(मुरारी लाल)
अनु सचिव ।